

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 387/2026  
अनवान : -

1. मोहन सिंह राठौड़ पुत्र बजरंग सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. हवा कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दशरथ सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
4. कैलाश कँवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
5. मरूधर कँवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है0, 15 की 1.7700 है0, 17/2 की 5.5010 है0, 18/2 की 2.0230 है0 कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11. 8230 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का पैदायशी हक व हिस्सा हैं। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या के अकेले के नाम दर्ज हो गई वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्रो/भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 का वाद भूमि कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है0, 15 की 1.7700 है0, 17/2 की 5.5010 है0, 18/2 की 2.0230 है0 कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11.8230 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का पैदायशी हक व हिस्सा हैं। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या के अकेले के नाम दर्ज हो गई वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्रो/भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 का वाद भूमि कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है०, 15 की 1.7700 है०, 17/2 की 5.5010 है०, 18/2 की 2.0230 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11.8230 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब० हि० ब० काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है०, 15 की 1.7700 है०, 17/2 की 5.5010 है०, 18/2 की 2.0230 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11. 8230 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स० 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का पैदायशी हक व हिस्सा हैं। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या के अकेले के नाम दर्ज हो गई वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 व 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्रों/भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 5 का वाद भूमि कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है०, 15 की 1.7700 है०, 17/2 की 5.5010 है०, 18/2 की 2.0230 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11.8230 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब० हि० ब० काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 लगायत 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है०, 15 की 1.7700 है०, 17/2 की 5.5010 है०, 18/2 की 2.0230 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11.8230 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स० 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ..... 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर  
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 387 / 2026

अनवान : -

1. मोहन सिंह राठौड़ पुत्र बजरंग सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्


1. हवा कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दशरथ सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
4. कैलाश कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
5. मरूधर कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 387 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/61 के खसरा नं. 14 की 2.5290 है0, 15 की 1.7700 है0, 17/2 की 5.5010 है0, 18/2 की 2.0230 है0 कुल खसरे 4 की कुल तादादी 11.8230 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर